पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 247/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 08.08.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 14.08.2024 को जनपद आजमगढ़ से निम्न कार्यवाही की गयीः-

01. थाना गम्भीरपुरः दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक- 06.03.2024 को वादी मुकदमा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि अज्ञात द्वारा वादी की लडकी को बहला फुसलाकर भगा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0-67/2024 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 राजबहादुर यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है।

दिनांक 14.08.2024 को पीडिता की बरामदगी व अभियुक्त प्रताप चौहान पुत्र सतीश चौहान निवासी ग्राम मसूदपट्टी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र-19 वर्ष की गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 भा0द0वि0 व 3/4 पोक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी व अभियुक्त का नाम प्रकाश में लाया गया। अग्रिम विवेचना जुर्म धारा-363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट में सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दि0-14.08.2024 को उ0नि0 राजबहादुर यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त प्रताप चौहान पुत्र सतीश चौहान निवासी मसूदपट्टी मडैया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 19 वर्ष को समय 10.40 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु पूर्व में टीम दिल्ली रवाना की गयी थी। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहासः—

1. मु0अ0सं0-67/2024 धारा-363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0-159/2023 धारा-323/34/354ख/504 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
3. मु0अ0सं0-252/2023 धारा-308/323/504/506/34 भादवि थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

02.थाना रौनापारः चोरी के सामान के साथ शातिर अपराधी गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

अवगत कराना है कि वादिनी मुकदमा श्रीमती रेशमा देवी पत्नी लालबिन्द यादव निवासी ग्राम इस्माईपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ने थाना रौनापार पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 02.08.2024 की रात्रि में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मेरी सरकारी देशी शराब की दुकान का तोड़कर दुकान में रखे हुये शराब की पेटी 01 (45 शीशी) व एल0ई0डी0 टी0वी0, स्कैनर व बिके हुये माल का पैसा चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध दिया गया जिस पर थाना हाजा पर दिनांक 04.08.24 को मु0अ0सं0 322/24 धारा 331(4)/305 बी.एन.एस बनाम अज्ञात चोर नाम व पता अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण – दिनांक 14.08.24 को उ0नि0 जीतेन्द्र सिह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त सनोज पासवान पुत्र मोहन पासवान ग्राम दोरजी धौरहरा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष को एक LED TV सैमसंग 18 इंच व 3520/- रुपये के साथ ग्राम बीबीपुर पुल से समय करीब 02.20am बजे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 266/23 धारा 60आबकारी अधि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 78/24 धारा 379/411 भादवि थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 79/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिलरियागंज जनपदआजमगढ़।

03. थाना- फूलपुरः किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

अवगत कराना है कि दिनांक 12-08-24 को वादिनी मुकदमा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 12.08.2024 को वादिनी की नाबालिक पुत्री समय लगभग प्रातः 9 बजे सुखी लकड़ी लेने गयी थी उसी समय विपक्षी प्रदीप कुमार यादव पुत्र बाबूराम यादव सा0 शिवराजपुर थाना सरायमीर आजमगढ द्वारा वादिनी की पुत्री के साथ दुष्कर्म किया गया, के सम्बन्ध मे थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0-424/2024 धारा 64 बीएनएस व ¾(2) पाक्सो एक्ट बनाम प्रदीप उपरोक्त पंजीकृत है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक प्र0नि0 शशीचन्द चौधरी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभि0 प्रदीप कुमार यादव पुत्र बाबूराम यादव सा0 शिवराजपुर थाना सरायमीर आजमगढ थाना फूलपुर जनपद आजगमढ़ को अम्बारी रेलवे स्टेशन तिराहा से समय करीब 08-20 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया, तथा न्यायिक अभिरक्षा जिलाकारागार भेजा गया।

04. थाना- अहरौलाः अवैध असलहा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा वांछित/वारण्टी/अवैध असलहा रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 14.08.2024 को चौकी प्रभारी माहुल उ0नि0 सुधीर कुमार सिंह मय हमराह चेकिंग के दौरान पूर्वाचल एक्सप्रेसवे के बगल बनी सर्विस रोड से एक व्यक्ति आसान पुत्र जुल्फन सा0 मेहियापार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष को एक कट्टा 315 बोर व दो जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ समय 09.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना अहरौला पर एक कट्टा 315 बोर व दो जिन्दा कारतूस 315 बोर बनाम अभियुक्त आसान पुत्र जुल्फन उपरोक्त पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

05. थाना- अहरौलाः अवैध गांजा के साथ एक शातिर अपराधी गिरफ्तार

अवगत कराना है कि आज दिनांक 14.08.2024 को उ0नि0 निशिकान्त मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान मंगारीपुर पुलिस से एक शातिर अपराधी इलियास पुत्र दुखी निवासी पीठापुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ उम्र करीब 42 वर्ष को 1 kg 250 ग्राम गांजा के साथ समय 07.20 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 359/24 धारा 8/20 NDPS एक्ट बनाम इलिया उपरोक्त पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 214/2019 धारा 323/336/380/458 भादवि0 थाना अहरौला आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 39/2020 धारा 186/224/225/323/336/353/427/504/506 भादवि0 तथा 7 CLA ACT थाना अहरौला आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 221/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, 3/5A/8 गोवध अधि0 11 प0क्रू0अधि0 307/504 भादवि0 थाना अहरौला आजमगढ।
4. मु0अ0सं0 264/2015 धारा 3/5/8 गो0नि0अधि0 व 11 प0क्रू0अधि0 थाना जलालपुर अम्बेडकरनगर

06.थाना- कोतवालीः ओप्पो का फर्जी मोबाइल व बिल लेकर धोखाधड़ी करने वाली अभियुक्ता गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक- 13.08.2024 को उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल मय हमराह को सूचना मिली कि एक महिला ओपो का फर्जी मोबाईल व बिल लेकर भोले भाले लोगों को सस्ते दामों मे बेच रही है। इस सूचना पर विश्वास करके पुलिस बल द्वारा गौरीशंकर घाट मंदिर मुहल्ला सीताराम से एक महिला अभियुक्ता ग्यारसींग बाई पत्नी नवल बेलदार नि0 जिनसी थाना रावेर जिला जलगांव महाराष्ट्र उम्र 56 वर्ष को समय 17.50 बजे नियममानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया तथा कब्जे से दो कूटरचित ओपो मोबाईल स्क्रीन टच व दो चार्जर सुपरवूक मय दो डाटा केबल ओपो, दो कूटरचित श्री राम मोबाईल शाप की फर्जी बिल व जामा तलाशी से 800 रूपये बरामद किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

07.थाना- कोतवाली: PCR में आये अभियुक्त की निशानदेही पर 1 तमन्चा 315 बोर व 1 कारतूस जिन्दा बरामद।

पूर्व की घटना/इतिहास–

शारदा देवी पुत्री हरिनाथ निषाद निवासी कोल बाजबहादुर थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि मेरे लड़के डिप्टी साहनी पुत्र स्व0 हरिनाथ साहनी को दिनाक 26/7/2024 शांय करीब 5 बजे जब वह घर से साईकिल से सब्जी लेने बवाली मोड जा रहा था जहाँ पहले से घात लगाये शनि, राजु व राज s/o स्व बलिराम साहनी मो0 कोलबाज बाहदूर थाना कोतवाली आजमगढ़ मेरे बेटे को पकड़ लिये और खीचते हुये बन्धे के नीचे मैरेज हाल के पास ले आकर जान से मारने की नियत से गोली मार दिये जिससे मेरा बेटा घायल हो गया लोग उसको उठाकर पुलिस के साथ सदर अस्पताल में भर्ती किये है, मेरे बेटे ने बताया की उसे शनि,राजू व राज ने अपने बाप के हत्या का बदला लेने के लिये गोली मार दिये उसने बताया की मुझे सीने पर कट्टा रखकर बार-बार गोली मार रहे थे लेकिन मै हाथ से लड़ाई कर के कट्टा पकड़ लेता था। जिससे गोली मेरे हाथ में लग जाती थी, आवाज पर कुछ लोगो के आने की आवाज सुनकर यह कहते हुये भाग गये की साला आज बच गया, अगर कोई कार्यवाही करता है तो फिर गोली मार देगें। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 427/24 धारा 109/351(2)/3(5) बीएनएस दि. 26.7.24 को पंजीकृत किया गया। अभियुक्त शनि साहनी उपरोक्त द्वारा माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया।

पीसीआर पर आये अभियुक्त की निशान देही पर बरामदगी का विवरण – दिनांक 13.8.24 को उ0नि0 लालबहादुर बिन्द कां0 हीरालाल थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शनि साहनी पुत्र बलिराम साहनी निवासी कोल बाजबहादुर थाना कोतवाली आजममगढ़ उम्र 26 वर्ष को 06 घण्टे के PCR पर लाकर निशानदेही पर समय 13.25 बजे मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 1 कट्टा 315 बोर व 1 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	कोतवाली
1	427/24	109/351(2)/3(5) बीएनएस	कोतवाली	आजमगढ़
2	456/24	3/ 25 शस्त्र अधि.	कोतवाली	आजमगढ़

08.थाना तरवाः चोरी गये सामान के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार, 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 24.06.2024 को वादी मुकदमा राजेन्द्र प्रसाद यादव पुत्र दुखी यादव (प्रधानाचार्य) ग्राम तितिरा थाना तरवां जनपद आजमगढ ने थाना तरवां पर लिखित तहरीर दी कि रात्रि करीब 01.00 बजे अज्ञात चोरो द्वारा पूर्व मा0 विद्यालय फद्दूपुर का ताला तोड़कर बच्चो का खेल का समान चुरा गये है, जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0… 0203/2024धारा 380,457 भादवि अज्ञात चोरो के विरुद्ध पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 रतन सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

तथा वादी मुकदमा रवीन्द्र प्रजापति पुत्र स्व0 बैजनाथ प्रजापति ग्राम बहोरिकपुर थाना तरवा जिला आजमगढ के ग्राम बेलहाडीह बाजार एक इलेक्ट्रिशियन दुकान से दिनांक 26.07.024 को मेन दरवाजे का ताला तोड़कर पाँच फरा पंखा व पाँच सेलिंग तथा नगद 10000 रुपये भी चुरा ले गये हैं जिसके सम्बन्ध में 228/2024 धारा 331(4)/305 बी0एन0एस0 के विरुद्ध पंजीकृत हुआ जिसका विवेचना व0उ0नि0 जीतेन्द्र कुमार सिंह द्वारा सम्पादितकी जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दि0 14.08.2024 को उ0नि0 रतन कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त सन्दीप यादव पुत्र अमरनाथ यादव उम्र 19 वर्ष नि0 ग्राम फद्योपुर कुटीया थाना तरवां जनपद आजमगढ 2. हरीओम दूबे पुत्र राजेश दूबे उम्र लगभग 19 वर्ष नि0ग्राम फद्योपुर कुटीया थाना तरवां जनपद आजमगढ़ को एक वालीबाल,एक फुटवाल व दो सिलिंग फैन के साथ समय 10.35 बजे गिरफ्तार किया गया तथा एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

<u>09. थाना जीयनपुर पुलिस की तत्तपरता से 03 घण्टे के अन्दर दो गुमशुदा बरामद</u>

अवगत कराना है कि थाना जीयनपुर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाना जीयनपुर पर सूचना दिया कि मेरी पुत्री उम्र करीब 13 वर्ष व उसकी सहेली बिना किसी से बताये घर से कही चली गयी है।

<u>गुमशुदा बरामदगी–</u>

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा गुमशुदा की बरामदगी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में दिनांक 13.08.2024 को थानाध्यक्ष विवेक कुमार पाण्डेय मय हमराह द्वारा शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बर व सूचना के आधार पर वाराणसी पुलिस से समन्वय स्थापित कर गुमशुदा दोनो किशोरी थाना जीयनपुर आजमगढ़ को 03 घण्टे अन्दर बरामद किया गया तथा नियमानुसार उनके परिजनो को सुपुर्द किया गया।

10.थाना- जीयनपुरः 04 वारण्टी गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक—14/05/2024 को उ0नि0 अभिषेक यादव मय हमराह द्वारा मु0नं0 11927/24 अ0सं072/2000 धारा 147/148/149/323/504 भादवि से सम्बन्धित **वारण्टी अमरूद्दीन पुत्र बदरूद्दीन खान निवासी जोगियाबीर थाना जीयनपुर आजमगढ़** उम्र करीब 50 वर्ष को उसके घर ग्राम जोगियाबीर से समय करीब 08.30 बजे हिरासत पुलिस मे गया तथा उ0नि0रविन्द्र प्रताप यादव मय हमराह द्वारा मु0नं0 15215/24 धारा 147/148/149/323/325/506 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ से सम्बन्धित **वारण्टी सुनील पुत्र मुनिब निवासी ग्राम तरौका** थाना जीयनपुर आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष को उसके घर से समय करीब 08.30 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया तथा उ0नि0 विश्वजीत पाण्डेय मय हमराह द्वारा मु0नं0 177/17 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)10 SC/ST ACT थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ से सम्बन्धित **वारण्टी शिशुपाल यादव उर्फ पिन्टू** पुत्र रामनयन निवासी करैला थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 34 वर्ष को उसके घर से समय करीब 08.35 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया तथा उ0नि0 अमित कुमार वर्मा मय हमराह द्वारा मु0नं0 630/2020 धारा 138 NI ACT थाना सारनाथ जनपद वाराणसी से सम्बन्धित **वारण्टी अतहर जमाल पुत्र मैनुद्दीन** नि0ग्राम नुरूद्दीनपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ उम्र 35 वर्ष को उसके घर ग्राम नुरूद्दीनपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ से समय करीब 08.30 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया व अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।